सलाउद्दीन बनाम हरियाणा राज्य

राजीव भल्ला नयामूर्ति के समक्ष ।

सलाउद्दीन- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य उत्तरदाता

CRL. 2007 का आर. नं. 1262

19 नवंबर 2009

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 53- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 20 (3), 21 और 226- बल का प्रयोग करके अभियुक्त के रक्त का नमूना लेने के आवेदन को खारिज करना - संहिता की धारा 53 में प्रयुक्त शब्द "उचित बल" को एस 2 (एच) में प्रयुक्त शब्द "जांच" की परिभाषा के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए- जहां जांच में साक्ष्य एकत्र करना शामिल है जो वह आरोपी अदालत के "परीक्षण" से एकत्र कर सकता है। धारा 53 के संदर्भ में एक निर्देश जारी करना - धारा 53 किसी अभियुक्त के व्यक्ति से किसी भी सबूत को इकट्ठा करने में उचित बल के उपयोग की अनुमति देती है इसलिए, एक अदालत द्वारा जारी एक निर्देश, जिसमें एक अभियुक्त को अपने रक्त का नमूना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और साथ ही उचित बल का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करेगा।

अभिनिर्धारित किया गया है संहिता की धारा 53 में कहा गया है कि जहां यह विश्वास करने का कारण है कि किसी आरोपी के व्यक्ति की "जांच" से अपराध होने के बारे में सबूत मिल सकता है, तो इस

तरह के बल का उपयोग एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा इस तरह की परीक्षा के लिए किया जा सकता है. जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य कर रहा है। संहिता की धारा 53 के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और अनुच्छेद 21 की सुरक्षात्मक दीवार में एक खिड़की प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, ताकि किसी आरोपी के व्यक्ति की आक्रामक जांच की अनुमति मिल सके। कुछ प्रक्रियात्मक और चिकित्सा सुरक्षा उपायों के अधीन धारा 53 के प्रावधान न तो "खुद के खिलाफ गवाह होने या संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करने" की अभिव्यक्ति की शरारत के भीतर आते हैं। अदालतों और पुलिस के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। संहिता की धारा 53 के तहत शक्ति का उपयोग यंत्रवत् रूप से नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होगा, जो अदालत या पुलिस अधिकारी के लिए इस राय के लिए पर्याप्त होगा कि अपराध होने के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए आरोपी के व्यक्ति की "परीक्षा"

अनिवार्य है। इसलिए, एक अदालत को खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि धारा 53 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया अनुरोध पर्याप्त सामग्री पर आधारित है और यह केवल साक्ष्य के लिए मछली पकड़ने के उद्देश्य से एक घुमावदार जांच नहीं है क्योंकि इसकी प्रकृति से "बल" स्वतंत्रता, आत्म-दोषारोपण और व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए एक अभिशाप है।

(Paras 15 and 16)

इसके अलावा संहिता की धारा 53 में प्रयुक्त "उचित बल" शब्द को संहिता की धारा 2 (एच) में उपयोग किए गए "जांच" शब्द की परिभाषा के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए यह संदेह से परे है कि जहां जांच में सबूत का संग्रह शामिल है जो एक आरोपी के व्यक्ति की "परीक्षा" से एकत्र किया जा सकता है। एक अदालत संहिता की धारा 53 के संदर्भ में एक निर्देश जारी करने की हकदार होगी यानी संबंधित चिकित्सा अधिकारी को ऐसे उचित बल का उपयोग करके रक्त का नमूना निकालने का निर्देश देगी जो किसी मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि डी. एन. ए. परीक्षा जांच एजेंसी के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि संहिता की धारा 53 किसी आरोपी के व्यक्ति के लिए किसी भी सबूत को इकट्ठा करने में उचित बल के उपयोग की अनुमति देती है। इसलिए एक अदालत द्वारा जारी एक निर्देश एक अभियुक्त को अपने रक्त का नमूना प्रस्तुत करने का निर्देश देता है और साथ ही उचित बल के उपयोग का निर्देश देता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करेगा।

सलाउद्दीन बनाम हरियाणा राज्य

(Paras 17 and 18)

आगे कहा गया कि आरोपी रक्त परीक्षण से गुजरने के लिए सहमत हो गया, लेकिन बाद में इस तरह के परीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी को अपनी पहले की सहमति से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान ट्रायल कोर्ट आवेदन को खारिज करते समय एक त्रुटि में पड़ गया, क्योंकि संक्षेप में, प्रार्थना प्रतिवादी को अपना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए थी। उनकी सहमति के अनुसार रक्त का नमूना और इसमें एक नया आदेश पारित करना शामिल नहीं था।

(Para 19)

आर. एस. सिहोता, वरिष्ठ एडवोकेट और बी. आर. राणा, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए अजय चौधरी, डी. ए. जी., हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए

<u>निर्णय</u>

(I) यह आदेश 2007 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1262 और 2007 के 1830 का निपटारा करेगा।.

(2) शिकायतकर्ता और हरियाणा राज्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट गुड़गांव द्वारा पारित 3 मई, 2007 के आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग संशोधन दायर किए हैं, जिसमें आरोपी सूरत उर्फ सुज्जा के रक्त का नमूना लेने के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जो 12 सितंबर 2004 को आईपीसी की धारा 302/1028/216/201/148/149 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 318 में आरोपी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जे. एम.आई.सी. फिरोजपुर झिरका के समक्ष उनके रक्त का नमूना लेने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। 7 दिसम्बर, 2004 को सूरत @Sujja ने फिरोजपुर झिरका के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

के समक्ष एक वक्तव्य दिया कि यदि उनके रक्त का नमूना लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मजिस्ट्रेट ने सिविल सर्जन, गुड़गांव को आरोपी के रक्त का नमूना लेने का निर्देश दिया। Surat@ सुज्जा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए 2004/2006 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 34 दायर किया। दिनांक 3 मई, 2007 के आदेश के तहत संशोधन को खारिज कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब डॉक्टर रक्त का नमूना लेने के लिए जेल गए लेकिन सूरत @ सुज्जा ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, इस प्रकार डॉक्टर को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(3) याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता ने एक आवेदन दायर कर प्रार्थना की कि अभियोजन पक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित बल का उपयोग करके आरोपी के रक्त का नमूना लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। निचली अदालत ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि रक्त का नमूना लेने के लिए दूसरा आवेदन विचार योग्य नहीं है और अन्यथा भी आरोपी को अपने रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संहिता की धारा 53 आरोपी के व्यक्ति की "जांच" के लिए "उचित बल" के उपयोग की अनुमति देती है। आरोपी सहमत हो गया और उसके बाद, रक्त परीक्षण कराने से इनकार कर दिया। इसलिए निचली अदालत को गुड़गांव के सिविल सर्जन को निर्देश देना चाहिए था कि वह डीएनए प्रोफाइलिंग के उद्देश्य से रक्त का नमूना लेने के उद्देश्य से 'उचित बल' का इस्तेमाल करें। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे दिए गए न्यायालय ने आवेदन में प्रार्थना को गलत समझा क्योंकि संक्षेप में प्रार्थना संहिता की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार 7 दिसंबर, • 2004 के आदेश का पालन करने के लिए है।

(5) दूसरी ओर, अभियुक्त के वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि वह तथ्यों पर विवाद नहीं करता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और अनुच्छेद 21 के मद्देनजर आरोपी को रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि संहिता की धारा 53 में "परीक्षा" शब्द के अर्थ के भीतर रक्त का नमूना लेना शामिल है, अभियोजन पक्ष या चिकित्सा परीक्षक को बल का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि प्रतिवादी ने पहले ही अपने रक्त का नमूना प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसी उद्देश्य के लिए दूसरा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

(6) मैंने पक्षों के वकीलों को सुना है और नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया है। यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 स्वेच्छा से रक्त का नमूना प्रदान करने के लिए सहमत हुए लेकिन बाद में

सहयोग करने से इनकार कर दिया। यह सवाल न्यायिक निर्णय के लिए आता है कि क्या अभियोजन पक्ष को किसी आरोपी के रक्त का नमूना लेने के लिए बल का • उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

(7) किसी आरोपी के व्यक्ति की आक्रामक “जांच” के लिए बल के उपयोग के खिलाफ तर्क संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और अनुच्छेद 21 से आता है। अनुच्छेद 20 (3) कहता है कि किसी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और इसका आयात कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा तक फैला हुआ है । न्यायिक उदाहरणों की एक लंबी लाइन ने लगातार माना है कि जहां साक्ष्य के आंतरिक चरित्र में बदलाव नहीं होता है। एक अभियुक्त को अपने व्यक्ति की शारीरिक जांच के लिए प्रस्तुत करने का आदेश संविधान के अनुच्छेद 20 (3) की सुरक्षात्मक दीवार का उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि यह “गवाह होने” की अभिव्यक्ति की शरारत के भीतर नहीं आता है। उंगली के निशान, बाल और त्वचा के नमूने, रक्त और वीर्य के नमूने जैसे सबूत, कुछ नाम देने के लिए, अपरिवर्तनीय स्थिरांक हैं और इसलिए किसी व्यक्ति के आनुवंशिक निर्माण के कॉलिंग कार्ड हैं। एक अभियुक्त को “परीक्षा” से गुजरने की आवश्यकता वाला आदेश “गवाह होने” की शरारत के भीतर नहीं आएगा। (1) अभियुक्त को अपनी लिखावट या उंगली का नमूना प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रकृति पर विचार करते समय, इस संबंध में संदर्भ आवश्यक रूप से **बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू** मामले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए किया जाना चाहिए, यह निम्नानुसार माना गया था:-

“16. इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचे हैं -

> एक आरोपी व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने पुलिस हिरासत में रहते हुए बयान दिया था। दूसरे शब्दों में, जिस समय विवादित बयान दिया गया था, उस समय पुलिस हिरासत में होने का तथ्य अपने आप में, कानून के एक प्रस्ताव के रूप में, इस निष्कर्ष को जन्म नहीं देगा कि अभियुक्त को बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि यह तथ्य,

सलाउद्दीन बनाम हरियाणा राज्य

किसी विशेष मामले में साक्ष्य में प्रकट की गई अन्य परिस्थितियों के संयोजन में, यह जांच में एक प्रासंगिक विचार होगा कि आरोपी व्यक्ति को विवादित बयान देने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं।

2 एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करना, जिसके परिणामस्वरूप एक स्वैच्छिक बयान, जो अंततः अभियोग साबित हो सकता है,'बाध्यता' नहीं है। '

3 गवाह बनना' अपने व्यापक महत्व में 'साक्ष्य प्रस्तुत करने के बराबर नहीं है; कहने का मतलब यह है कि इसमें न केवल मौखिक या लिखित बयान देना शामिल है, बल्कि दस्तावेजों को प्रस्तुत करना या सामग्री देना भी शामिल है जो आरोपी के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करने के लिए मुकदमे में प्रासंगिक हो सकते हैं।

4. अंगूठे के इंप्रेशन या पैर या हथेली के इंप्रेशन या नमूना लेखन की उंगलियों को देना या पहचान के माध्यम से शरीर के कुछ हिस्सों को दिखाना 'गवाह होने की भिव्यक्ति में शामिल नहीं है।

AIR 1961 S.C.1808

5. गवाह बनने का अर्थ है मौखिक बयान या लिखित रूप में दिए गए बयान द्वारा प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना, अदालत में या अन्यथा दिया जाना।

6 अपने सामान्य व्याकरणिक अर्थ में गवाह बनने का अर्थ है अदालत में मौखिक गवाही देना। केस लॉ अभिव्यक्ति की इस सख्त शाब्दिक व्याख्या से परे चला गया है जो अब एक व्यापक अर्थ रख सकता है, अर्थात्, मौखिक रूप से या लिखित रूप से अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा अदालत में या अदालत के बाहर गवाही देना।

7. अनुच्छेद 20 (3) के निषेध के भीतर बयान को विचाराधीन लाने के लिए, आरोपी व्यक्ति को बयान देते समय आरोपी व्यक्ति के चरित्र में खड़ा होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि वह बयान दिए जाने के बाद किसी भी समय आरोपी बन जाए। “

(8) चूंकि उंगलियों के निशान, रक्त के नमूने, बालों के नमूने आदि का आंतरिक चरित्र बदल जाता है, भले ही नमूना लेने से अभिव्यक्ति के बड़े अर्थों में सबूत प्रस्तुत करने के बराबर हो सकता है, लेकिन “गवाह होने” की अभिव्यक्ति के भीतर नहीं आएगा।

(9) गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में, (2) निगरानी की आवश्यकता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपलब्ध अधिकारों पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की....

“ निगरानी के अधीन व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के साथ-साथ उन उद्देश्यों और सीमाओं के आधार पर जिनके तहत निगरानी की जाती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू यात्राओं द्वारा निगरानी हमेशा गोपनीयता के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध होगी। यह मानते हुए कि किसी नागरिक को स्पष्ट रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में उपच्छाया क्षेत्र हैं और यह कि गोपनीयता का अधिकार स्वयं एक मौलिक

अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को बाध्यकारी सार्वजनिक हित के आधार पर प्रतिबंध के अधीन होना चाहिए।

(10) जिन अन्य फैसलों का हवाला दिया जा सकता है, उनमें खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और मलक सिंह बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य शामिल हैं।

---

2 1975 2 SCC 148

3 AIR 1963 SC 1295

4 1981 (1) SCC 420

(11) एच.आई.वी. (+) के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और 21 पर विचार करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री एक्स बनाम अस्पताल जेड मामले में श्री एक्स बनाम अस्पताल में कहा कि अनुच्छेद 20 (3) के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है और इस तरह की कार्रवाई के अधीन है। अपराध विकार की रोकथाम या स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानूनी रूप से लिया जा सकता है। गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या किसी पक्ष के रक्त के नमूने का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन करता है, पितृत्व के संबंध में विवाद के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा......

1 भारत में अदालतें रक्त परीक्षण का आदेश नहीं दे सकती हैं।

2. जहां कहीं भी इस तरह की प्रार्थना के लिए आवेदन किया जाता है ताकि जांच की जा सके, रक्त परीक्षण के लिए प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है।

सलाउद्दीन बनाम हरियाणा राज्य

3 साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा को दूर करने के लिए पति को गैर-पहुंच स्थापित करना होगा।

4. अदालत को इस बात की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि रक्त परीक्षण का आदेश देने का क्या परिणाम होगा कि क्या इसमें एक बच्चे को और मां को एक अपवित्र महिला के रूप में प्रचारित किया जाएगा।

5किसी को भी रक्त विश्लेषण का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(12) शारदा बनाम धर्मपाल मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गौतम कुंडू (ऊपर)मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया

"गौतम कुंडू (ऊपर) इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में अदालत रक्त परीक्षण करने का निर्देश नहीं दे सकती है। बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस ने निश्चित रूप से इस तरह के आदेश के यांत्रिक पारित होने के संबंध में

[5] 1998 8 SCC 296

“AIR 1993 SC 2295

7AIR 2003 SC3450

सावधानी बरती है। कुछ अन्य न्यायालयों में, यह माना गया है कि इस तरह के निर्देश आमतौर पर तब दिए जाने चाहिए जब बच्चे के हित में हो ।

ऊपर के रूप में देखने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और अनुच्छेद 21 के संदर्भ में इस विषय पर पूरे कानून की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की...

> 78. इस स्तर पर हम देख सकते हैं कि सहमति के बिना आनुवंशिक नमूना लेना कुछ देशों में देखा जा सकता उदाहरण के लिए कनाडा को व्यक्तियों की शारीरिक अखंडता के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, हालांकि कानून इस तरह के जबरन नमूने लेने की

अनुमति देता है। लेकिन यहां तक कि इस अभ्यास को वैध माना जाता था जब नमूना एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा एकत्र किया जाता है। कुछ देशों में डीएनए परीक्षण के लिए संदिग्धों से नमूने एकत्र करना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं पाया गया है।

80 इस मामले पर दूसरे कोण से विचार किया जा सकता है ऐसे सभी वैवाहिक मामलों में जहां तलाक की मांग की जाती है। नपुंसकता, स्किज़ोफ्रेनिया आदि के आधार पर कहें, सामान्य रूप से चिकित्सा जांच के बिना, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा कि क्या उसके पति या पत्नी द्वारा दूसरे पति या पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोप इस आधार पर तलाक मांग रहे हैं, सही है या नहीं, इस तरह के आरोप को साबित करने के लिए. याचिकाकर्ता हमेशा चिकित्सा परीक्षा पर जोर देगा। यदि प्रतिवादी इस आधार पर इस तरह की चिकित्सा जांच से बचता है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसे अधिकांश मामलों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव हो सकता है। यह उन आधारों को प्रस्तुत कर सकता है जिन पर तलाक की अनुमति है। इसलिए, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त गोपनीयता का कोई अधिकार नहीं है और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता " वाक्यांश की व्यापक व्याख्या के साथ इस अधिकार को अनुच्छेद 21 में पढ़ा गया है, तो इसे पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस अधिकार पर कुछ सीमाएं लगाई जानी चाहिए और विशेष रूप से जहां दो प्रतिस्पर्धी हित टकराते हैं। पूर्वोक्त प्रकृति के मामलों में जहां विधायिका ने अपने पति या पत्नी को ऐसे आधारों पर तलाक मांगने का अधिकार प्रदान किया है, यह अधिकार होगा उस पति या पत्नी का जो प्रतिवादी के तथाकथित गोपनीयता के अधिकार के साथ संघर्ष में आता है। इस प्रकार न्यायालय को इसमें शामिल हितों को संतुलित करके इन प्रतिस्पर्धी हितों को समेटना होगा।

81 यदि न्यायालय की संतुष्टि पर पहुंचने के लिए और किसी पक्षकार के अधिकार की रक्षा करने के लिए, जो अन्यथा अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने में असमर्थ पाया जा सकता है, न्यायालय एक उचित आदेश पारित करता है, तो इस तरह की कार्रवाई के भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का सवाल ही नहीं उठता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए

न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के स्वयं का बचाव करने के अधिकार को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

82 हालांकि, यह स्वयंसिद्ध है कि एक अदालत एक रोविंग जांच का आदेश नहीं देगी। इसके पास अपने विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा । न्यायालय के हाथों विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग अपेक्षित नहीं है। अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आवेदक ने ऐसा आदेश पारित करने से पहले एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है।

83 यदि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद कोई व्यक्ति इस तरह की चिकित्सा परीक्षा के लिए खुद को प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए एक मजबूत मामला बनाया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 भी अदालत को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाती है यदि पार्टी अपनी शक्ति और कब्जे में प्रासंगिक सबूत पेश नहीं करती है।. "

(13) संविधान निर्माताओं का इरादा किसी आरोपी को आत्म-दोषारोपण से बचाने का हो सकता है, लेकिन किसी अपराधी को न्याय के दायरे में लाने के लिए अपराध की कुशल और प्रभावी जांच रास्ते में बाधाएं डालने का इरादा नहीं हो सकता था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और 21 अपवादों को स्वीकार करेंगे, जैसा कि कानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है।. संहिता की धारा 53, संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और 21 द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन का एक ऐसा अपवाद है, क्योंकि यह एक अभियुक्त के व्यक्ति से सबूत निकालने के लिए कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया निर्धारित करता है।

(14) संहिता की धारा 53, अपने वर्तमान रूप में, 1973 संहिता द्वारा अधिनियमित की गई थी, लेकिन 2005 के अधिनियम संख्या 25 के माध्यम से, धारा 53 के मूल स्पष्टीकरण को हटा दिया गया था और एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। स्पष्टीकरण में डीएनए प्रोफाइलिंग आदि सहित आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, थूक और पसीने, बालों के नमूने और उंगली

के नाखून की कतरन की परीक्षा को शामिल करके "परीक्षा" शब्द को परिभाषित किया गया है । संहिता की धारा 53 इस प्रकार है:-

> "53* पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सक द्वारा आरोपी की जांच 1) जब किसी व्यक्ति को इस तरह के अपराध को करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि वह ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से अपराध होने के बारे में सबूत मिलेगा, तो यह एक पंजीकृत चिकित्सक के लिए वैध होगा, उप-निरीक्षक के पद से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करना और उसकी सहायता और उसके निर्देशन में सद्भावना से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करना जो यथोचित रूप से आवश्यक हो ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके जो इस तरह के सबूत दे सकते हैं, और उस उद्देश्य के लिए यथोचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करना ।

(2) जब भी इस धारा के तहत किसी महिला के व्यक्ति की जांच की जानी है, तो परीक्षा केवल एक महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। "

स्पष्टीकरण - इस धारा में और धारा 53-ए और 54 (ए) में "परीक्षा" में डीएनए प्रोफाइलिंग सहित आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, यौन अपराधों के मामले में स्वैब, थूक और पसीना, बालों के नमूने और उंगली के नाखून की कतरन की जांच शामिल होगी और ऐसे अन्य परीक्षण जो पंजीकृत चिकित्सक किसी विशेष मामले में आवश्यक समझते हैं;

ख) "पंजीकृत चिकित्सक" से ऐसा चिकित्सक अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय आयुवज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई चिकित्सीय योग्यता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

(15). संहिता की धारा 53 में कहा गया है कि जहां यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अभियुक्त के व्यक्ति की "जांच" से अपराध होने के बारे में सबूत मिल सकता है, इस तरह के बल का उपयोग एक

पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है, ऐसी परीक्षा के लिए, एक पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करना, जो उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है।

(16) संहिता की धारा 53 के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और अनुच्छेद 21 की सुरक्षात्मक दीवार में एक विधवा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, ताकि कुछ प्रक्रियात्मक और चिकित्सा सुरक्षा उपायों के अधीन आरोपी के व्यक्ति की आक्रामक जांच की अनुमति दी जा सके। धारा 53 के प्रावधान न तो "खुद के खिलाफ गवाह होने" की अभिव्यक्ति की शरारत के भीतर आते हैं या संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं । अदालतों और पुलिस के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। संहिता की धारा 53 के तहत शक्ति का उपयोग यंत्रवत रूप से नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होगा, जो अदालत या पुलिस अधिकारी के लिए यह राय बनाने के लिए पर्याप्त होगा कि अपराध होने के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए आरोपी के व्यक्ति की "परीक्षा" अनिवार्य है। इसलिए एक अदालत को खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि धारा 53 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया अनुरोध पर्याप्त सामग्री पर आधारित है और यह केवल सबूत के लिए मछली पकड़ने के उद्देश्य से एक घुमावदार जांच नहीं है क्योंकि इसकी हर प्रकृति से "बल" स्वतंत्रता, आत्म- दोषारोपण और व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए एक अभिशाप है।

(17). संहिता की धारा 53 में प्रयुक्त "उचित बल" शब्द को संहिता की धारा 2 (एच) में प्रयुक्त "जांच" शब्द की परिभाषा के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो निम्नानुसार है :-

"(h) "जांच" में इस संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी या किसी भी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए साक्ष्य के संग्रह के लिए सभी कार्यवाही शामिल हैं, जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत है।

(18). इसलिए यह संदेह से परे है कि जहां जांच में सबूत का संग्रह शामिल है जो एक आरोपी के व्यक्ति की "परीक्षा" से एकत्र किया जा सकता है। एक अदालत संहिता की धारा 53 के संदर्भ में एक निर्देश जारी करने की हकदार होगी यानी संबंधित चिकित्सा अधिकारी को ऐसे उचित बल का उपयोग करके रक्त का नमूना निकालने का निर्देश देगी जो किसी मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि डीएनए परीक्षा जांच एजेंसी के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि संहिता की धारा 53 आरोपी के व्यक्ति से किसी भी सबूत को इकट्ठा करने में उचित बल के उपयोग की अनुमति देती है। इसलिए एक अदालत द्वारा जारी एक निर्देश जिसमें

सलाउद्दीन बनाम हरियाणा राज्य

एक अभियुक्त को अपने रक्त का नमूना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और साथ ही उचित बल का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करेगा।

(19) वर्तमान मामले में आरोपी रक्त परीक्षण से गुजरने के लिए सहमत हो गया, लेकिन बाद में इस तरह के परीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया "प्रतिवादी को अपनी पहले की सहमति से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निचली अदालत ने आवेदन खारिज करते समय गलती की क्योंकि संक्षेप में अनुरोध प्रतिवादी को उसकी सहमति के अनुसार अपने रक्त का नमूना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए था और इसमें एक नया आदेश पारित करना शामिल नहीं था ।

(20) ऊपर जो कहा गया है उसके मद्देनजर । पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाता है। 3 मई 2007 के आदेश को रद्द किया जाता है। ट्रायल कोर्ट गुड़गांव के सिविल सर्जन को निर्देश • देगा। अभियुक्त के रक्त का नमूना लेने के लिए और उक्त उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग करें जो यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी